न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 125/12 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. लाडोबाई पत्नि जोगेन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी माटावास तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:— अपीलांट

बनाम

1 जसवन्त सिंह पुत्र बलकार सिंह उम्र 15 साल जाति रायसिख
2 बलवन्त सिंह पुत्र बलकार सिंह उम्र 13 साल जाति रायसिख जरिये माता खुद पालाबाई पत्नि बलकार सिंह

:— रेस्पा

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा
दिनांक 21.8.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सर्व श्री संजीव जैन, संतोष बंसल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 12.2.2021

---

1 प्रस्तु अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/09 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.8.12 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने ताहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सवंख्या 01 मिलावासिंह वादीगण प्रार्थीगण का सगा दादा है । विवादित भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 23 एयर का 1/4 भाग, 49 रकबा 47 एयर सालिम, 50 रकबा 37 एयर का 24 एयर, 74 रकबा 3 एयर गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम माटावास तहसील तिजारा वादीगण प्रार्थीगण की दादा लाई की भूमि है । वादीगण प्रार्थीगण के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पिता बलकार सिंह का देहान्त हो चुका है । विवादित भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी नम्बर 01 ने प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को बयनामा करा दिया । जबकि आराजी का अभी विभाजन नहीं हुआ है । इस गलत बयनामा की आड में अब प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 वादीगण प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने पर उतारू है । अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 47 एयर में से 16 एयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 37 एयर में से 24 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 74 एयर में से 40 एयर हिस्सा हमने रिकार्डेड खातेदार मिलावासिंह पुत्र कालासिंह से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 7.6.07 से खरीदी है और वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । विवादित भूमि मिलावासिंह की स्वअर्जित भूमि है । धारा 212 के तीनों बिन्दू रेस्पो0 के पक्ष में साबित न होकर हमारे पक्ष में साबित है । फिर भी गलत तौर पर तहत अदालत ने हमको पाबन्द कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में नजीर आर0 आर0 टी0 2017 (1) राजस्व मण्डल पेज 360 का हवाला दिया ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि मिलावासिंह की स्वअर्जित नहीं है । यह भूमि पैत्रिक है । अभी हिस्सा बटा नहीं है । हम मिलावासिंह के नाबालिग पौते हैं । दादालाई की भूमि में हमारा जन्म से ही अधिकार है । परन्तु हमारे दादा मिलावासिंह ने गलत तौर पर भूमि अपीलांटस को बेच दी और इस गलत बयनामा की आड में अपीलांटस को हमको बेदखल करने पर आमदा है । इसलिये तहत अदालत ने इनको सही तौर पर पाबन्द किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया । पत्रावली में संलग्न हाल राजस्व रेकार्ड के अनुसार मिलावासिंह विवादित भूमि का खातेदार है, जिससे अपीलांट प्रतिवादी ने भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की है । उक्त बयनामा में विकेता मिलावासिंह द्वारा खरीददार अपीलांट को कब्जा हस्तांतरित किया जाना अंकित है । विवादित भूमि पर पक्षकारान के हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की अपील का निस्तारण कर रहे हैं । जिसमें धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

संतुलन व अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में एक कब्जेधारी व्यक्ति को आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता । अपीलांट खरीददार कब्जाधारी है । इसलिये प्रथम दृष्टतया मामला अपीलांट का बनता है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर0 आर0 टी0. पेज 360 में भी बयनामे के आधार पर काबिज व्यक्ति के पक्ष में प्रथमदृष्टतया मामला होना माना है । अपीलांट खरीददार काबिज व्यक्ति है । अगर उसे अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया गया तो अपूर्णनीय क्षति होगी । साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अगर उसके कब्जे काश्त में मजाहमत की गई तो उसे असुविधा होगी अर्थात सुविधा का संतुलन भी रेस्पो0 वादीगण के पक्ष में न होकर अपीलांट प्रतिवादी के पक्ष में है । इस प्रकार धारा 212 के तीनों रेस्पो0 वादीगण के पक्ष में साबित न होकर अपीलांट प्रतिवादी के पक्ष में साबित है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.8.2012 निरस्त किया जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर